

न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या-155/2015-16

अन्तर्गत धारा-219 भू-राजस्व अधिनियम

1. डा0 एम0सी0 लूथरा पुत्र बालमुकुन्द लूथरा, निवासी 58 चकराता रोड, देहरादून।
2. डा0 श्रीमती सविता लूथरा पत्नी डा0 एम0सी0 लूथरा, निवासी 58 चकराता रोड, देहरादून।

बनाम

1. मौहम्मद तारीक अथर पुत्र सय्यद मौहम्मद ताहिद, निवासी मोहल्ला मुक्ति शहर सहारनपुर हाल निवासी शहर देहरादून।
2. चन्द्रकान्त चहल पुत्र बलराम नन्द चहल निवासी 100 मोहल्ला झण्डा, देहरादून।
3. श्रीमती सपना कपूर पुत्री अविनाश चन्द निवासी 81बी राजपुर रोड, देहरादून।

उपस्थिति:

श्री एस0 रामास्वामी, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण

: श्री प्रेमचन्द शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या-2

: श्री पी0के0 गर्ग।

बावत

मौजा ढाकपट्टी, परगना केन्द्रीयदून
तहसील व जिला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा वाद संख्या-17/2014-15 अन्तर्गत धारा 34 एल0आर0एक्ट डा0 एम0सी0 लूथरा बनाम सपना कपूर में पारित निर्णयादेश दिनांक 01-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

निगरानीकर्तागण डा0 एम0सी0 लूथरा एवं डा0 श्रीमती सविता लूथरा ने वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2010 कलेक्टर, देहरादून के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा मौजा ढाकपट्टी, परगना केन्द्रीय के खेवट संख्या-1 महाल प्रताप सिंह, (फसली वर्ष 1412) के खसरा नम्बर 95 में रकबा 0.2495 है0 भूमि बजरिये बैनामा दिनांक 05-12-2006 को कय की है। विद्वान कलेक्टर ने तहसीलदार, सदर, देहरादून से नामान्तरण प्रार्थना पत्र पर आख्या प्राप्त की। तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 16-12-2014 उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि प्रश्नगत भूमि जमींदारी अविनाश से सम्बन्धित है जिस पर महाल प्रताप सिंह, नाम स्वामी श्रीमती सत्यानन्द चहल आदि खाता खेवट नम्बर 1 खाता संख्या 3 खाला श्रेणी वर्ग 15(1) जलमग्न भूमि खसरा नम्बर 95 मि0 रकबा 0.5910 है0 भूमि खतौनी में अंकित अभिलेख है। विक्रेता खेवटदार द्वारा खेवट संख्या-1 से खेवटदार श्रीमती सत्यानन्द चहल पत्नी श्री बलराज नन्द चहल निवासी 100 झण्डा मोहल्ला, देहरादून द्वारा बजरिये विक्रय पत्र दिनांक 14-07-99 को मु0 4,95,000-00 रु0 में भूमि खसरा नम्बर 95 मिन0 रक 0.5910 है0 में से 1.33 एकड़ भूमि अर्थात् 0.5385 है0 भूमि केता श्रीमती सपना

कपूर पुत्री अविनाश चन्द को विक्रय कर दिया गया है तथा क्रेता ने बजरिये बैनामा दिनांक 28-11-2006 मु0 23,00,000-00 रू0 में भूमि खसरा नम्बर 95 मि0 रकबा 0.2495 है0 अर्थात् 0.61 एकड़ भूमि उपरोक्त क्रेता श्रीमती सपना कपूर द्वारा द्वितीय क्रेता डा0 एम0सी0 लूथरा एवं उनकी पत्नी श्रीमती सविता को विक्रय कर दिया है। विक्रय किया गया खसरा नम्बर खाता संख्या-3 खाला महाल प्रताप सिंह, खेवट संख्या-1, खेवटदार श्रीमती सत्यानन्द चहल आदि के नाम दर्ज है तथा इस खाते में भूमि खसरा नं0 95 मि0 रकबा 0.5910 है0 भूमि अंकित है। विक्रय किया गया क्षेत्रफल 0.2495 है0 है। अवशेष रकबा 0.3415 है0 है। विक्रेता द्वारा क्रेता को विक्रय पत्र के दिनांक से ही कब्जा दे दिया गया है। भूमि पर 01 पेड़ शीशम, 01 पेड़ साल व 01 पेड़ कुकाट का विद्यमान है। भूमि खाला के खाते की है तथा स्थल पर खाले के स्थान पर अकृषक प्रयोजन की है। भूमि स्थल पर खाली पड़ी है। खाले के स्वरूप में नहीं है। कृषि योग्य भूमि है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में गतिमान नहीं है। इस वाद में प्रतिउत्तरदाता श्री चन्द्रकान्त चहल एवं मौ0 तारीख अथर द्वारा अपनी-अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गई। उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त विद्वान कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया कि "द्वितीय क्रेता श्रीमती सपना कपूर पुत्री श्री अविनाश चन्द द्वारा वाद पत्रावली में कहीं भी क्रेता के पक्ष में अपनी अनापत्ति/सहमति स्वरूप शपथ पत्र पत्रावली पर संलग्न नहीं किया गया है। इस प्रकार वादी अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। वाद के निस्तारण में सहायक पत्रावली पर संलग्न बैनामे की प्रतियों का भी अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि श्रीमती सपना कपूर द्वारा क्रेता/वादी के पक्ष में निष्पादित किये गये बैनामों में विक्रीत भूमि विवरण में भूमि खाता संख्या 04 अंकित है जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण रिपोर्ट में खाता संख्या 03 पर अंकित खसरा नम्बर पर नामान्तरण हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। चूँकि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 34 के तहत नामान्तरण-दान पत्र/वसीयत/बैनामा के आधार पर हस्तान्तरण करते हुए राजस्व अभिलेखों को दुरस्त किया जाना है जो कि एक सरसरी प्रक्रिया है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा-34 की उपधारा-30 में नामान्तरण का आधार कब्जा होता है। अतः प्रश्नगत वाद में कब्जे का विवाद स्पष्ट है। जैसा कि उभयपक्षों ने अपने तर्कों में स्वीकार किया गया इस प्रकार प्रश्नगत भूमि भाग को लेकर कब्जे का विवाद होने के कारण एवं बैनामा वर्ष 1999 का होने अर्थात् कालबाधित होने के कारण नामान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।" विद्वान कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 01-06-2016 से निगरानीकर्तागण/वादीगण का नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 24-11-2010 निरस्त किया गया। इस निर्णयादेश के विरुद्ध यह निगरानी योजित की गई है।

इस निगरानी में प्रतिउत्तरदाता संख्या-01 मौहम्मद तारीक अथर को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उन्होंने लगातार दो तिथियों पर तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 05-12-2016 को भी उनके द्वारा तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त किया गया।

मैंने निगरानीकर्तागण एवं प्रतिउत्तरदाता संख्या-02 के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवं अभिलेखों का भली-भाँति अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण का तर्क है कि निगरानीकर्तागण ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28-11-2006 के आधार पर दिनांक 20-10-2010 को एक नामान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया जो निमनानुसार पंजीकृत

हुआ और उस पर उद्घोषणा पत्र जारी हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ निगरानीकर्तागण ने नियमानुसार अपने पक्ष में सम्पादित विक्रय पत्र दिनांक 28-11-2006 और श्रीमती सपना कपूर पुत्री श्री अविनाश चन्द के पक्ष में सम्पादित तथा श्रीमती सत्यानन्द चहल के विक्रय पत्र की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें श्रीमती सत्यानन्द चहल जो भूमि की स्वामी, मालिक, काबिज थी ने अपनी नॉन जेड0ए0 की भूमि खाता खेवट नम्बर-1 खसरा नम्बर 95 ग रकबा 0.591 है0 अर्थात् 1.46 एकड़ में से 1.33 एकड़ भूमि महाल प्रताप सिंह का विक्रय पत्र दिनांक 14-7-99 को किया गया था प्रस्तुत किया गया। उक्त विक्रय पत्रों के साथ वार्षिक खतौनी जमींदारी विनाश क्षेत्र 1417 फसली व खेवट चौसाला 1418 से 1421 फसली भी संलग्न की थी। जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 28-01-2011 में दिये गये निर्देशों के तहत तहसील द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 25-02-2011 अपूर्ण थी उसपर पुनः नई आख्या मांगी गई जो पुनः जांचोपरान्त हल्का लेखपाल द्वारा तहसीलदार के माध्यम से दिनांक 16-12-2014 को जिलाधिकारी को प्रेषित की गई और इसमें स्पष्ट अंकित किया गया कि विक्रेता द्वारा क्रेता को विक्रय पत्र के दिन से ही कब्जा दे दिया गया है। क्योंकि यह नॉन जेड0ए0 की भूमि थी इसलिए इसके नामान्तरण हेतु कार्यवाही कलेक्टर, देहरादून को प्रेषित की गई। लगभग पाँच वर्ष बाद उक्त नामान्तरण वाद में प्रतिउत्तरदाता संख्या-1 मौहम्मद तारीक अथर द्वारा दिनांक 05-02-2015 को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की गई तथा उसके साथ-साथ दिनांक 29-04-2015 को चन्द्रकान्त चहल द्वारा भी अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की गई। दिनांक 06-05-2015 को पुनः तारीक अथर द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जज सिविल, सीनियर डिवीजन में चल रहे वाद संख्या-14 वर्ष 2014-15 के तय होने तक उक्त नामान्तरण कार्यवाही को स्थगित करने की प्रार्थना की जिसका समुचित उत्तर दिनांक 03-06-2015 को निगरानीकर्तागण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वास्तव में श्रीमती सपना कपूर को श्रीमती सत्यनन्द चहल जो आपत्तिकर्ता चन्द्रकान्त चहल की माता हैं जिनके नाम खसरा नम्बर 95 मिन0 का कुल क्षेत्रफल 0.5910 है0 भूमि खतौनी में अंकित थी और नॉन जेड0ए0 की भूमि थी ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14-7-99 को उसमें से 0.5390 है0 भूमि क्रेता श्रीमती सपना कपूर पुत्री अविनाश चन्द को विक्रय कर दी थी उसमें से सपना कपूर ने दिनांक 28-11-2006 को खसरा नम्बर 95 मिन0 रकबा 0.2495 है0 अर्थात् 0.61 एकड़ भूमि निगरानीकर्तागण एम0सी0 लूथरा एवं श्रीमती सविता लूथरा को विधिवत विक्रय की गई थी और शेष भूमि तीन अलग-अलग विक्रय पत्र दिनांक 04-01-2007, 28-11-2006 से तीन व्यक्तियों हरकिशन सिंह आदि को विक्रय की गई जिनका नामान्तरण कलेक्टर, देहरादून के वाद संख्या-57 वर्ष 2007 हरकिशन सिंह आदि बनाम श्रीमती सपना कपूर एवं वाद संख्या-59 वर्ष 2007 हरकिशन आदि बनाम सपना कपूर में पारित आदेश दिनांक 08-08-2007 को कलेक्टर, देहरादून द्वारा स्वीकार कर राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज कर दिया गया। उक्त नामान्तरण वादों में आज तक किसी भी आपत्तिकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई इसलिए सपना कपूर का विक्रय पत्र दिनांक 14-7-99 पूर्णतया वैधानिक था। उक्त नामान्तरणों के आधार पर किसी आपत्तिकर्ता को सपना कपूर द्वारा ही सम्पादित विक्रय पत्र दिनांक 28-11-2006 के आधार पर निगरानीकर्तागण के नामान्तरण को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि प्रश्नगत भूमि आपत्तिकर्ता को विरासत में प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लम्बे समय तक नामान्तरण की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लम्बित रखा गया और कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। विवश होकर निगरानीकर्तागण ने अपना मामला महानिरीक्षक, एस0आई0टी0, गढ़वाल को सौंप दिया। लम्बी जांच के बाद आपत्तिकर्तागण के विरुद्ध मामला सही पाया गया और थाना राजपुर को मुकदमा अपराध दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए। आपत्तिकर्तागण/प्रतिउत्तरदातागण ने जानबूझकर जिला शासकीय अधिवक्ता से पत्रावली पर आपत्तियां लगवाई। निर्णय के पैरा 9 व 10 में निगरानीकर्तागण के

कथनों को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया और आपत्तिकर्तागण/प्रतिउत्तरदातागण के समस्त कथनों को झूटा व आधारहीन बताया है और पत्रावली पर पूर्णतया सिद्ध था कि विवादित भूमि पर निगरानीकर्तागण का स्वामित्व व अधिपत्य चला आ रहा है इसके बावजूद भी केवल यह कहते हुए कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा-34 की उपधारा-30 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नामान्तरण का आधार कब्जा होता है एवं वादी तथा आपत्तिकर्ता के मध्य कब्जे का विवाद विद्यमान हो गया है। अतः वादी का नामान्तरण वाद स्वीकार किया जाना विधि के अनुकूल न होने के कारण निरस्त होने योग्य है जबकि भू-राजस्व अधिनियम की उपधारा-30 है ही नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि से बाहर नामान्तरण प्रार्थना पत्र बताकर नामान्तरण अस्वीकार किया जाना विधि विरुद्ध एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निगरानी स्वीकार होने एवं निगरानीकर्तागण का नामान्तरण वाद स्वीकार होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता संख्या-02 का तर्क है कि निगरानीकर्तागण ने अपने आप को कथित बैनामा दिनांक 28-11-2006 इकरारी श्रीमती सपना कपूर के आधार पर खसरा नम्बर 95 रकबा 0.5390 है० को जो नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया नियम विरुद्ध और निराधार है। श्रीमती सपना कपूर के पक्ष में सम्पादित बैनामा दिनांक 14-7-99 होना प्रदर्शित किया और उक्त बैनामे को लगभग 16 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जिसके आधार पर श्रीमती सपना कपूर का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं हुआ है। श्रीमती सपना कपूर के उपरान्त द्वितीय क्रेता द्वारा कय की गई भूमि पर वर्ष 2006 से आज तक राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित नहीं हुआ है जिसको 09 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि जब श्रीमती सपना कपूर का नाम कय की गई भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं हुआ है तो द्वितीय क्रेता के नाम तथाकथित बैनामे के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अंकित किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मौके पर न ही सपना कपूर का कब्जा है और न ही निगरानीकर्तागण डा० एम०सी० लूथरा का कब्जा है। श्रीमती सत्यनन्द चहल द्वारा किये गये कथित बैनामे दिनांक 14-7-99 के आधार पर श्रीमती सपना कपूर और अब निगरानीकर्तागण का कब्जा नहीं हुआ है और न ही वर्तमान में है। डा० एम०सी० लूथरा आदि का नामान्तरण प्रार्थना पत्र कालबाधित होने के कारण उचित निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयादेश में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानीकर्तागण की निगरानी बलहीन है और निरस्त होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता द्वारा आर०डी० 2007(103) 112(एच) मा० राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की विधिक व्यवस्था भी प्रस्तुत की गई।

यह स्पष्ट है कि श्रीमती सपना कपूर को श्रीमती सत्यनन्द चहल जो प्रतिउत्तरदाता संख्या-2 चन्द्रकान्त चहल की माता हैं जिनके नाम खसरा नम्बर 95मिन० का कुल क्षेत्रफल 0.5910है० भूमि खतौनी में अंकित थी और भूमि नॉन जेड०ए० की भूमि थी ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14-7-99 को 0.5390है० भूमि विक्रय की। श्रीमती सपना कपूर ने इस कय की गई भूमि में से दिनांक 05-12-2006 को खसरा नम्बर 95 मिन० रकबा 0.2495है० भूमि निगरानीकर्तागण एस०सी० लूथरा एवं श्रीमती सविता लूथरा को विक्रय कर दी। शेष भूमि श्रीमती सपना कपूर ने हरकिशन सिंह आदि को विक्रय की जिसका नामान्तरण वाद संख्या-57 वर्ष 2007 हरकिशन सिंह आदि बनाम श्रीमती सपना कपूर एवं वाद संख्या-59 वर्ष 2007 हरकिशन आदि बनाम सपना कपूर आदि में पारित आदेश दिनांक 08-08-2007 से कलेक्टर, देहरादून द्वारा स्वीकार किया गया। निगरानीकर्तागण ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन किया। भूमि नॉन जेड०ए० की होने के कारण नामान्तरण का प्रकरण कलेक्टर, देहरादून को प्रेषित किया गया। नामान्तरण प्रार्थना पत्र पर विद्वान कलेक्टर ने तहसीलदार से आख्या प्राप्त की जो उप जिलाधिकारी, सदर, देहरादून के

माध्यम से प्राप्त हुई। जांच आख्या दिनांक 16-12-2014 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि विक्रेता द्वारा क्रेता/निगरानीकर्तागण को विक्रय के दिनांक से ही कब्जा दे दिया गया है।

मैंने विद्वान कलेक्टर के निर्णयादेश दिनांक 01-06-2016 का भी भली-भाँति अवलोकन किया। इस निर्णयादेश के पैरा-10 में विद्वान कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी मौ0 तारीख अथर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है एवं जैसा कि उनके द्वारा वर्ष 1937 (01-01-1937) से लेकर वर्ष 1963(08-04-1963) तक प्रश्नगत भूमि को उनके पूर्वजों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को किरायेदारी में दिये जाने का उल्लेख किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा जो ओथ कमिश्नर द्वारा प्रमाणित प्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत की गई हैं एवं जिसका रूपान्तरण हिन्दी में करते हुए पत्रावली पर संलग्न की गई हैं के आधार में कहीं भी बतौर साक्षी किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। सम्बन्धित अभिलेख मूल में पत्रावली पर संलग्न नहीं किया गया है एवं ना ही उक्त अभिलेखों की पुष्टि हेतु किसी के बयान ही अंकित कराये गये हैं। अतः यह माना जाना कि भूमि प्रतिवादी मौ0 तारीख अथर के पूर्वजों के कब्जे की भूमि, स्वामित्व की भूमि, जिसके आधार पर उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि भाग को किरायेदारी में दी गई है अथवा वर्षों से कब्जा होना बता रहा है परन्तु राजस्व अभिलेखों में कहीं भी कब्जा दर्ज नहीं है और ना ही इनके द्वारा इस प्रकार का कोई प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर 95 बहुत बड़ा नम्बर है और वह जेड0ए0 क्षेत्र में एवं नॉन जेड0ए0 क्षेत्र में विभक्त है। आपत्तिकर्तागण को इसकी कोई पहचान नहीं है कि वह आपत्तियां किसके बारे में कर रहे हैं। प्रश्नगत नामान्तरण वाद नॉन जेड0ए0 की भूमि के बारे में चल रहा है और तारीख अथर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम का आधार लेकर अपने को विवादित भूमि में हित होना बता रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में नामान्तरण पत्रावली हर प्रकार से स्वीकार की जानी है।

इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्वान कलेक्टर द्वारा अपने निर्णयादेश के पैरा 11 में आपत्तिकर्ता/प्रतिउत्तरदाता चन्द्रकान्त चहल की आपत्ति के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया है कि आपत्तिकर्ता की माता का वर्ष 2000 में निधन हो गया है। जहाँ तक उनके द्वारा बतौर वारिसान साबित करने का प्रयास किया गया है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा ऐसा प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नगत भूमि भाग के सम्बन्ध में उनके द्वारा धारा 34 भू-राजस्व अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत बतौर विरासतन वाद योजित किया गया हो। विद्वान कलेक्टर द्वारा आपत्तिकर्ता/प्रतिउत्तरदाता चन्द्रकान्त चहल की आपत्ति दिनांक 29-04-2015 निरस्त की गई है।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि आपत्तिकर्तागण/प्रतिउत्तरदातागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी आपत्तियों को साबित नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप निगरानीकर्तागण/क्रेतागण का नामान्तरण वाद भली-भाँति नामान्तरण हेतु पुष्ट होता है।

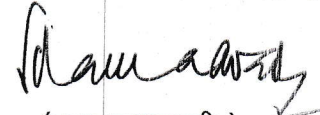
जहाँ तक विद्वान कलेक्टर द्वारा अपने निर्णयादेश में भू-राजस्व अधिनियम की धारा-34 की उपधारा-30 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नामान्तरण का आधार कब्जा होता है एवं वादी तथा आपत्तिकर्ता के मध्य कब्जे का विवाद विद्यमान हो गया है। अतः वादी का नामान्तरण वाद स्वीकार किया जाना विधि के अनुकूल न होने के कारण निरस्त होने योग्य है का उल्लेख किया गया है तो भू-राजस्व अधिनियम के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें भू-राजस्व अधिनियम की धारा-34 की उपधारा-30 का कोई वर्णन नहीं है अर्थात् उपधारा-30 है ही नहीं। नामान्तरण वाद हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समयावधि

निर्धारित नहीं है और नामान्तरण हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। नामान्तरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें स्वत्व का प्रकरण निहित नहीं है। इसी खसरा न० से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में श्रीमती सपना कपूर द्वारा निष्पादित अन्य विक्रय पत्र के आधार पर कलेक्टर देहरादून द्वारा नातान्तरण वाद स्वीकार किये गये हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विद्वान कलेक्टर, देहरादून का निर्णयादेश दिनांक 01-06-2016 विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त होने एवं निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

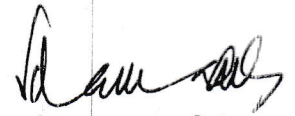
निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान कलेक्टर, देहरादून का आक्षेपित आदेश दिनांक 01-06-2016 को अपास्त कर निगरानीकर्तागण/वादीगण का नामान्तरण वाद स्वीकार किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्तागण का नाम दर्ज किया जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।



(एस० रामास्वामी)

अध्यक्ष।

आज दिनांक 8/2/2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।



(एस० रामास्वामी)

अध्यक्ष।